न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 258 /2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/416

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार कल्याणपुर		1.छगनोदेवी पत्नि लिक्ष्मणराम 2.टीलीया पुत्र वीरीया 3.देवाराम पुत्र मांगाराम 4.काली पुत्री गंगाराम 5.किलाराम पुत्र गुणेशाराम 6.खेमोदेवी पत्नि गंगाराम 7.पेमाराम पुत्र लिछमणाराम 8.मुन्नाराम पुत्र लिछमणाराम 9.लूणी पुत्री गंगाराम 10.सेभू पुत्र भारता जाति मेधवाल निवासी कबीरनगर,बड़नावा जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 11.गोमदराम पुत्र नथाराम 12.दूदा पुत्र पोलीया 13.मूलीदेवी पत्नि नथाराम 14.मालाराम पुत्र नथाराम 15.लूणाराम पुत्र नथाराम 16.लोगाराम पुत्र नथाराम 17.जसाराम पुत्र राजूराम 18.जीयोदेवी पत्नि राजूराम 19.पीराराम पुत्र राजूराम 20.बालाराम पुत्र राजूराम जाति गरूड़ा निवासी कबीरनगर तहसील पचपदरा 21.खेता पुत्र मंगलाराम 22.डाया पुत्र मंगलाराम जाति गरूड़ा निवासी कबीरनगर तहसील पचपदरा 23.गोपाराम पुत्र रूपाराम 25.पपाराम पुत्र रूपाराम 26.पारसराम पुत्र रूपाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

27.रणछाराम पुत्र रूपाराम

28.शिवाराम पुत्र रूपाराम

29.सकूदवी पत्नि रूपाराम

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.10.2023

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम कबीरनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 122,322/123,369/126,126,372/129,371/129 भूमि विप्रार्थीगण की सहखातेदारी में अवस्थित है। लेकिन आवेदन पत्र में प्रस्तावित रकबा का आमजन सार्वजनिक कदीमी रास्तें के रूप में उपयोग लिया जा रहा है,लेकिन राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित खसरान की किस्म बा.दोयम के स्थान पर गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तावित खसरान की किस्म बा.दोयम के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें की सहमति स्वरूप शपथ पत्र नोटेराइन्ड करवाकर पेश किए गए।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम कबीरनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 122, 322/123 , 369/126,126,372/129,371/129 भूमि विप्रार्थीगण की सहखातेदारी में अवस्थित है। लेकिन आवेदन पत्र में प्रस्तावित रकबा का आमजन सार्वजनिक कदीमी रास्तें के रूप में उपयोग लिया जा रहा है,लेकिन राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज हो रखा उक्त प्रस्तावित रास्ता कबीरनगर [illegible]मससागर से मेधवालों की ढाणी तक बारहमासी कदीमी रास्ता में उपयोग लिया जा रहा है। प्रस्तावित खसरान की भूमि रकबा का आम जन सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। उक्त खसरान के खातेदारान द्वारा प्रस्तावित रकबा को कदीमी रास्ता के रूप में उपयोग लिए जाने के कारण ही सहमति स्वरूप शपथ पत्र पेश कर किस्म [illegible] दर्ज करवानें के लिए सहमति दी गई है। लेकिन वर्णित रकबा [illegible] सड़क इत्यादि का निर्माण किए जाने में समास्या आ रही है। अतः प्रार्थी का आ[illegible] स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित भूमि रकबा की किस्म बा.दोयम के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता [illegible] किए जाने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:11 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कबीरनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 122, 322/123 ,369/126,126,372/129,371/129 किस्म बा.दोयम विप्रार्थीगण की सहखातेदारी में अवस्थित है। जबकि विप्रार्थीगण द्वारा सहमति स्वरूप शपथ पत्र नोटेराइन्ड करवाकर पेश कर स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रकबा भूमि का आमजन द्वारा सार्वजनिक रास्ता के रूप में बारहमासी उपयोग लिया जा रहा है,लेकिन रेकर्ड में किस्म बा.दोयम दर्ज है,उसके स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज की जाती है,तो विप्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थी पक्ष ने भी ताईद किया है,कि प्रस्तावित रकबे पर बारहमासी कदीमी रास्ता चल रहा है,जो किस्म बा.दोयम के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता करने की अनुशंष की गई है। ऐसी सूरत में किस्म बा.दोयम के स्थान किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त किया जाता न्यायसंगत प्रतीत होता है।

05.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रस्तावित खसरान रकबा भूमि की किस्म बा.दोयम के स्थान किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कबीरनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 122,322/123 , 369/126,126,372/129,371/129 में प्रस्तावित रकबा तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हैक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		
					ख.न.	रकबा	किस्म
1	1.छगनोदेवी पत्नि लिक्ष्मणराम 2.टीलीया पुत्र वीरीया 3.देवाराम पुत्र मांगाराम 4.काली पुत्री गंगाराम 5.किलाराम पुत्र गुणेशाराम 6.खेमोदेवी पत्नि गंगाराम 7.पेमाराम पुत्र लिछमणाराम 8.मुन्नाराम पुत्र लिछमणाराम 9.लूणी पुत्री गंगाराम 10.सेभू पुत्र भारता	122	4.2411	बा.दो.	122	1.08	गै.मु. रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2	1.गोमदराम पुत्र नथाराम 2.दूदा पुत्र पोलीया 3.मूलीदेवी पत्नि नथाराम 4.मालाराम पुत्र नथाराम 5.लूणाराम पुत्र नथाराम 6.लोगाराम पुत्र नथाराम	322 / 123	1.3759	बा.दो.	322 / 123	0.05	गै.मु. रास्ता
3	1.जसाराम पुत्र राजूराम 2.जीयोदेवी पत्नि राजूराम 3.पीराराम पुत्र राजूराम 4.बालाराम पुत्र राजूराम	369 / 126	1.1736	बा.दो.	369 / 126	0.08	गै.मु. रास्ता
4	1.खेता 2.डाया पिसरान मंगलाराम	126 371 / 129	1.1736 1.0926	बा.दो. बा.दो.	126 371 / 129	0.14 0.09	गै.मु. रास्ता
5	1.गोपाराम पुत्र रूपाराम 2..पपाराम पुत्र रूपाराम 3.पारसराम पुत्र रूपाराम 4.रणछाराम पुत्र रूपाराम 5.शिवाराम पुत्र रूपाराम 6.सकूदेवी पत्नि रूपाराम	372 / 129	2.1853	बा.दो.	372 / 129	0.18	गै.मु. रास्ता

तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 13.10.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:11 IST
Reason: SelfAttested